



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2291]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2019/आषाढ़ 24, 1941

No. 2291]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2019/ASHADHA 24, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

का.आ. 2519(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 506 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, दम्पा बाघ रिजर्व मिजोरम में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में ममीत जिले में स्थित है, इसके साथ बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा और त्रिपुरा राज्य की सीमा लगी है, यह मिजोरम के आइजोल जिले से लगभग 127 किलोमीटर दूर स्थित है;

और, दम्पा बाघ रिजर्व, का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है और इसके अंतर्गत दम्पा पहाड़ियां, पथलवी लुनग्लेन पहाड़ी, छवरपेल पहाड़ियां और कई अन्य पहाड़िया आती हैं, यह क्षेत्र उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें वार्षिक वर्षा 1700 मिलीमीटर से 3900 मिलीमीटर के बीच होती है और दम्पा बाघ रिजर्व का मध्यवर्ती क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी अवर्गीकृत भूमि है, जबकि उत्तरी भागों की ओर वाले क्षेत्र को टट-लैंगकैह नदीय रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है जहां का अधिकांश क्षेत्र कुछ गहरी घाटियों और नदियों वाला पहाड़ी क्षेत्र है, और 70% क्षेत्र में खड़े ढलान पहाड़ी क्षेत्र और 30% क्षेत्र में नम्र ढलान हैं तथा रेतीली मिट्टी और तलछटी चट्टानें हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकीय, वानस्पतिक, जीवजन्तु संबंधी और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए मिजोरम राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ -1-1/92-पीटी, तारीख 20 अक्टूबर 1994 के तहत अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, इसे और इसके, संरक्षण, प्रचार, विकास और पर्यावरण की आवश्यकता वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत अधिसूचना सं. बी.11011/14/90-एफएसटी, तारीख 7 दिसम्बर, 1994 के द्वारा बाघ रिजर्व घोषित किया गया है;

और, दम्पा टाइगर रिजर्व आश्चर्यजनक जैव विविधता का संरक्षक और सहायक है और यह वनस्पतियों की 31 प्रजातियों, जीवों की 18 प्रजातियों, उभयचरों और सरीसृपों की 8 प्रजातियों और 17 महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है और वनस्पतियों की 31 प्रजातियों में चेंगक्रेक (गार्सिनिया लांसएफ्रोफ़िया), कावटेडुंग (डिलनिया इंडिका), कांगटेक (अल्बिज़िया प्रोसेरा), लुंगखुप (मितराजिना रोटुंडीफोलिया), नौथक (लिटसेई मोनोपेटला), सेलुटर (सिपियम इंसिजने), सखिथेई (फ्लैकोर्टिया जंगगोमास), थिंग्सई (कास्टानॉपिस ट्राब्युलोइडेस), छवांट्यूअल (अपोर्सा ऑक्टान्द्रा), चिंगित (ज़ांथांक्साइलम राइट्स), हेसें (मेसिया फेरेआ), हनख्हार (मकारंग्गा इंडिका), हनम (एंजेलहार्डिआ स्पिकाटा), खुंगथली (बिशोफ़िया जावानीका), लुनगली (मोरस मैक्रोरा), मकपाजंगकांग (कैसिया नोडोसा), फूंचवांग (वांम्बाक्स साइबा), सनहलू (एमब्लिका ऑफिसिनालिस), छवातन (फेजरलिंडिया फासीक्यूलेट), पर अरसी (तबेनैमोटाना दवाराकाटा), थाकपुई (डेंड्रॉनैड सिनायुटा), वीकेप (मुसेन्द्र रॉक्सबरघी), ह्रीपुइ (कैलामास ईरिक्टस), मॉटक (मेलोकाना बासीफेरा), फुलरुआ (डेंड्रोकेलेमस हुकूरी), सायरिल (डिनकोलोआ कॉम्पैक्टफ्लोरा), रावमी (डेंड्रोकेलेमस सिक्किमसिस), बनपुई (डेंड्रोबियम क्रायसोटॉक्सम), बनसेइ (डेंड्रोबियम फ़िम्ब्रियाटम), लॉवहलेइ (वांडा कोरुलेआ) और केला बेंग (पापीलियनांथे तेरेस) सम्मिलित हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व 18 महत्वपूर्ण स्तनधारी प्रजातियों का आश्रय स्थल है। जिनमें सामान्य तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), लमचित्ता (निफोलीस नेबुलोसा), मारबल्ड बिल्ली (पेडॉफेलीस मार्मोराटा), तेंदुआ बिल्ली (प्रियोयेल्यूरस बेंगलेंसिस), बनबिलार (फेलिस चॉस), एशियाई काला भालू (उर्सस थिबेटनस), मलयान सन भालू (हेलारकोट्स मलयेथस), धौल (कुओन अल्पाइनस), सियार (कैनिस ऑरियस), गौर (बोस गौरास), सेरो (नामोरेडस सुमरात्रिस), मुंजक (मुनिटास मुंटजैक), पश्चिमी हुलांक उतक (हुलांक हुलांक), फेरे लिफ बंदर (ट्रैकटीपिटहेकस फेयेरेई) स्टम्पड लघु पुच्छ वानर (मकाका आर्कटोइडेस), कैण्ड लंगूर (ट्रैकटीपिटैकस पाइलैटस), लजीला वानर (नीक्टिसबस बेंगलेंसिस) और पिग- लघु पुच्छ वानर (माकाका लिओनीना) आदि सम्मिलित हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व में पक्षियों की विविधता है और यह 17 महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें ग्रेट धनेश (बुसेरस बिकोरनीस), ब्रेथेड धनेश (रीयटीसोरस अंडुलाटस), मैलान नाइट बगुला (गॉस्कार्यस मेलेनोलाॅफस), स्कार्लेट-बैकड फ्लावर चोकर (डिकेएम क्रूटैटम), ग्रे मयूर तीतर (पॉलीपैक्ट्रोन बिलिकक्रेटम), रेड-हेडेड ट्रोगोन (हार्पेक्ट्स इरिश्रोसिफलस), व्हाइट धमाकेदार शमा (कॉपिसिक मालाबेरिकस), धारीदार टिट बब्लर (मिक्कोर्निस गुलारिस), श्वेत-बिल्ड यूहिना (एरप्लेक्सी जांथोलुका), काली लेण्ड मोनार्च (हाइपोथिमिस अज़ोरा), पीले-बेली वार्वलर (एब्रोसोकस सुपरसिलियारिस), सफ़ेद ब्रश पिकुलेट (सासीआ ओन्नेसिया), पेले-हेडेड कठफोडवा (गिसिनलस ग्रांटिया), रुफस-फॉर्टेड बब्लर (स्टेचिरिडिपिस रूफिफ़ेंस), रुफस-कैण्ड बब्लर (स्टेचिरिडिपिस रूफिसप्स), पफ थ्रोटेड बब्लर (पेलोरनेम रूफिसप्स) और ब्राउन-चिकड फुलवेटा (एलिकिप पॉयइसेफला) सम्मिलित हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व 8 प्रकार के उभयचरों और सरीसृपों का आश्रय स्थल है जिनमें ट्रिकल मेंढक (ओसिडोजागा सीएफ टेनसेरिमेंसिस), एशियाई ट्री मेंढक (पेडॉस्टिब्स केम्पी), खासी हिल राॅक मेंढक (बुफोइड्स मेघालयियस), ग्रेटर हरे-बैकड ओरिएंटल स्ट्रीम मेंढक (औडोराना लिबिडा), ब्रोड-हेडेड फिलोटस (राउर्वेस्ट्स पैरावुलस), केलड बॉक्स कछुए (कूओरा मोहती), फ्लैट-बैकड जपुलुरा (जपालुरा प्लानिडोरसाटा), ड्राको जेनस की फ्लाइंग छिपकली और ब्लू-थ्रोटेड फॉरेस्ट छिपकली (पिकटोलामास गुलारिस) सम्मिलित हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व वनस्पति और जीवजन्तुओं की 26 स्थानिक प्रजातियों को संरक्षण, सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है जिनमें माइकलिया चैम्पाका, टोना सीयाटा, टर्मिनलिया मायरोकारपा, डेरिस रोबस्टा, आर्टोकारपस एसपीपी., बिस्कोफीया जावानीका, मेलोकाना बासीफेरा, डेन्ड्रोक्लामस लांगीपाथस, लमचित्ता, सामान्य तेंदुआ, हुलांक उतक, सांभर, सेरो, मुंजक, भालू, तेंदुआ बिल्ली, मार्बलेस बिल्ली, गंध बिलाव, लंगूर, रीसस मकाक, धनेश, रेड जंगल फ़ॉवल, रीछ, बरमेसे पायथान, बसंता, हरा कबूतर आदि सम्मिलित हैं और यह राज्य में बाघों का और संभवतः उनकी अलग-थलग पड़ी संख्या का एक मात्र वास है;

और, दम्पा बाघ रिजर्व विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीवजन्तुओं और पक्षी-जीवों का वास है और यह मिजोरम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षक और आश्रय स्थल है;

और, दम्पा बाघ रिजर्व, के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित करना और उसमें जैव विविधता और उसके पर्यावरण का प्रचार करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिजोरम राज्य में दम्पा बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर से 11.44 किलोमीटर तक विस्तारित 488.0 वर्ग किमी. क्षेत्र को दम्पा बाघ रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 488.0 वर्ग किलोमीटर होगा और यह दम्पा बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 0.0 किलोमीटर से 11.44 किलोमीटर तक फैला हुआ है। (संरक्षित क्षेत्र के पश्चिमी भाग में बांग्लादेश के साथ अन्तरराष्ट्रीय सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है)।

(2) दम्पा बाघ रिजर्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के दम्पा बाघ रिजर्व का मानचित्र उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और दम्पा बाघ रिजर्व की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) भू-निर्देशांकों के साथ दम्पा बाघ रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना .- (1) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी विचारणाओं को सम्मिलित करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा:-

(i) पर्यावरण;

- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग; और
- (xiii) मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा और इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा तथा इस अधिसूचित सारणी के पैरा-4 में प्रतिषिद्ध, और संवर्धित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और
- (v) बढ़ावा दिए गए और पैराग्राफ 4 में वर्णित क्रियाकलाप :

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और जलसरणी के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;

(ङ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटल और रिसोर्ट का निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन,

पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल, सैरगाह या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) वायु प्रदूषण .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और समय-समय पर यथा संशोधित उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के समय-समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन.- वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण.- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए गए जाएंगे।

(16) औद्योगिक इकाइयां.- (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण. - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित किए जाएंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या

		<p>मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ;</p> <p>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।</p>
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	<p>पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी:</p> <p>परन्तु यह कि जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।</p>
3.	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:</p> <p>परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।</p>
10.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परन्तु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण</p>

		<p>करने की अनुज्ञा होगी:</p> <p>परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	<p>फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।</p>
13.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केन्द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने और अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स को उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।

21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	संबद्ध प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संबंधित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	वायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/बनों या पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संविधान	पद
(i)	संबंधित उपायुक्त	-अध्यक्ष, पदेन;

(ii)	भू-राजस्व और बंदोबस्त विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(viii)	मत्स्य पालन विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(x)	पुलिस विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xi)	विद्युत और विद्युत विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xii)	पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xiii)	मृदा और नमी संरक्षण विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xv)	प्रकृति संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	-सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;
(xvii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी के एक विशेषज्ञ जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	-सदस्य;
(xviii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से जैव विविधता के एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(xix)	संबंधित उप संरक्षक वन / प्रभागीय वन अधिकारी	-सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय .- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7. अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. उच्चतम न्यायालय के आदेश.-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/21/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

दम्पा बाघ रिजर्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण


- उत्तर:** उत्तरी सीमा उस बिंदु से आरंभ होती है, जो बेलखईलुई और सजालुई का मिलन स्थल है। इसके बाद यह बेलखईलुई के रामरीलुई स्रोत (92°22'49.829"पू, 23°47'9.737"उ) से मिलती है। इसके बाद यह रामरीलुई की ओर जाकर यह सेंगमतावकलुई (92°23'51.055"पू, 23°46'38.935 उ) से मिलती है। इसके बाद यह सेंगमतावकलुई अनुप्रवाह की ओर जाकर तेईरईलुई (92°24'36.711"पू, 23°47'54.995"उ) से मिलती है। इसके बाद यह तेईरईलुई की धारा की ओर जाकर तुईनघालेंगलुई (92°26'15.066" पू, 23°44'18.582"उ) से मिलती है। इसके बाद यह तुईनघालेंगलुई की ओर जाकर सैडल स्रोत को पार करके दपलुई (92°29'36.577" पू, 23°45'54.604"उ) से मिलती है। इसके बाद यह दपलुई अनुप्रवाह की ओर जाकर तुत नदी (92°31'26.563"पू, 23°46'25.722"उ) से मिलती है।
- पूर्व:** पूर्वी सीमा उस बिंदु से आरंभ होती है जहाँ दपलुई और तुत नदियां मिलती है। इसके बाद यह तुत नदी की ओर जाकर सैडल स्रोत को पार करके मरलुई (92°28'40.057"पू, 23°33'23.354"उ) से मिलती है। इसके बाद यह मरलुई अनुप्रवाह की ओर जाकर लुंघरेलुई (92°27'31.36"पू, 23°22'2.393"उ) से मिलती है।
- दक्षिण:** दक्षिणी सीमा उस बिंदु से आरंभ होती है जो लुंघरेलुई और मरलुई का मिलन स्थल है। इसके बाद यह लुंघरेलुई की धारा की ओर जाकर डब्ल्यू. फैलेंग-मरपारा बीआरटीएफ सड़क को पार करके खावचतलुई स्रोत (92°25'38.631"पू, 23°21'50.918"उ) से मिलती है। इसके बाद यह खावचतलुई अनुप्रवाह की ओर

जाकर सजालुई/तुईलैनपुई (92°25'38.631"पू, 23°21'50.918"उ) से मिलती है जो कि भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।

पश्चिम: पश्चिमी सीमा उस बिंदु से आरंभ होती है जो सईलुई और सजालुई (92°17'30.669"पू, 23°40'54.308"उ) का मिलन स्थल है। इसके बाद यह सजालुई धारा की ओर जाकर बेलखईलुई (92°19'3.566"पू, 23°47'20.403"उ) से मिलती है।

दम्पा बाघ रिजर्व की पश्चिमी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है और इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पश्चिम की ओर '0.0' किलोमीटर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन (बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा) पर 0 किलोमीटर से 11.44 किलोमीटर तक विस्तृत है।

भू-निर्देशांकों के साथ दम्पा बाघ रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

क. संरक्षित क्षेत्र की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	प्रमुख स्थलों की अवस्थिति/दिशा	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	उत्तर	24°13'37.521"उ	92°54'3.074"पू
2	पूर्व	24°14'45.601"उ	92°53'16.322"पू
3	दक्षिण	24°6'26.327"उ	92°51'22.265"पू

ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	प्रमुख स्थलों की अवस्थिति/दिशा	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)
1	उत्तर	92°17'33.207"पू	23°40'51.915"उ
2	उत्तर	92°19'3.566"पू	23°47'20.403" उ
3	उत्तर	92°22'49.829"पू	23°47'9.737" उ
4	उत्तर	92°23'51.055"पू	23°46'38.935" उ
5	उत्तर	92°24'36.711"पू	23°47'54.995" उ
6	उत्तर	92°26'15.066"पू	23°44'18.582" उ
7	उत्तर	92°29'36.577"पू	23°45'54.604" उ
8	उत्तर	92°31'26.563"पू	23°46'25.722" उ
9	पूर्व	92°28'40.057"पू	23°33'23.354" उ
10	दक्षिण	92°27'31.36"पू	23°22'2.393" उ
11	दक्षिण	92°25'38.631"पू	23°21'50.918" उ
12	दक्षिण	92°23'39.859"पू	23°21'22.526" उ

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

(प्रत्येक ग्राम के लिए केवल उत्तर दिशा के निर्देशांक दिए गए हैं)

क्र. सं.	ग्राम	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)
1	डब्ल्यू. फाइलेंग	92°29'13.321"पू	23°42'51.077"उ
2	छिपुई	92°28'38.362"पू	23°38'33.573"उ
3	लाल्लेन	92°27'52.998"पू	23°37'34.876"उ
4	साईथह	92°26'46.791"पू	23°35'6.657"उ
5	फुलडुंगसेई	92°25'5.561"पू	23°29'49.578"उ

6	डब्ल्यू. फुलपुई	92°25'55.044"पू	23°24'47.354"उ
7	सिलसुरी	92°22'0.481"पू	23°23'11.602"उ
8	डैपछौह	92°31'12.916"पू	23°46'29.844"उ
9	तेईरेई वनः	92°27'9.655"पू	23°41'26.058"उ
10	खावनाई	92°26'18.157"पू	23°44'12.078"उ
11	दमपारेंगपुई	92°24'56.776"पू	23°43'25.817"उ
12	सेरमुन	92°21'31.938"पू	23°45'37.386"उ
13	तुईपुईवरी	92°19'41.696"पू	23°42'52.075"उ
14	राजीवनगर-1	92°18'14.881"पू	23°43'21.831"उ
15	बेलखाईः	92°19'17.128"पू	23°47'8.620"उ
16	कावनमावी	92°28'43.700"पू	23°39'40.170"उ

उपाबंध V**की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र :**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। (विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2019

S.O. 2519(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 506 (E) dated the 2nd February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 2nd February, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve, the largest Wildlife Sanctuary in the State of Mizoram, is located at Mamit district in the western part of the State of Mizoram sharing an international border with Bangladesh, boundary with the State of Tripura and is about 127 kilometers from the Aizawl district, Mizoram;

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve, which is spread over an area of 500 square kilometers and consists of Dampa hills, Pathlawi Lunglen hill, Chhawrpial hills and many others falls, within the sub-tropical region with an annual rainfall ranges between 1700 millimeters to 3900 millimeters and the buffer area of Dampa Tiger Reserve is mainly Government un-classed land while the areas line towards the Northern stretches are notified Tut-Langkaih Reverine reserve where most of the area is hilly terrain with a few deep gorges and rivers, and the 70% area is steep hill slope while remaining 30% is gentle slope with sandy clay soil and sedimentary rocks;

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) *vide* notification No.B. 11011/14/90-FST, dated the 7th December, 1994 after its approval from the Government of India *vide* notification No.F.1-1/92-PT, dated the 20th October 1994;

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve conserves and supports an astonishing biodiversity and supports 31 species of flora, 18 species of fauna, 8 species of amphibians and reptiles, and 17 important avifauna species, and the 31 species of flora including Chengkek (*Garcinia lanceaefolia*), Kawrthingdeng (*Dillenia indica*), Kangtek (*Albizia procera*), Lungkhup (*Mitragyna rotundifolia*), Nauthak (*Litsea monopetala*), Sailutar (*Sapium insigne*), Sakhithei (*Flacourtia jangomas*), Thingsui (*Castanopsis tribuloides*), Chhawntual (*Aporosa octandra*), Chingit (*Zanthoxylum rhetsa*), Herhse (*Mesua ferrea*), Hnahkhar (*Macaranga indica*), Hnum (*Engelhardtia spicata*), Khuangthli (*Bischofia javanica*), Lungli (*Morus macroura*), Makpazangkang (*Cassia nodosa*), Phunchawang (*Bombax ceiba*), Sunhlu (*Emblca officinalis*), Chhawntan (*Fagerlindia fasciculata*), Par arsi (*Tabernaemontana divaricata*), Thakpui (*Dendrocnide sinuata*), Vakep (*Mussaendra roxburghii*), Hruipui (*Calamus erectus*), Mautak (*Melocanna baccifera*), Phulrua (*Dendrocalamus hookeri*), Sairil (*Dinochloa compactiflora*), Rawmi (*Dendrocalamus sikkimensis*), Banpui (*Dendrobium chrysotoxum*), Bansei (*Dendrobium fimbriatum*), Lawhlei (*Vanda coerulea*) and Kelabeng (*Papilionanthe teres*);

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve supports 18 important mammalian species including common leopard (*Panthera pardus*), clouded leopard (*Neofelis nebulosa*), marbled cat (*Pardofelis marmorata*), leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), jungle cat (*Felis chaus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Malayan Sun bear (*Helarctos malayanus*), Dhole (*Cuon alpinus*), jackal (*Canis aureus*), gaur (*Bos gaurus*), serow (*Naemorhedus sumatraensis*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), western hoolock gibbon (*Hoolock hoolock*), Phayre's leaf monkey (*Trachypithecus phayrei*), stump-tailed macaque (*Macaca arctoides*), capped langur (*Trachypithecus pileatus*), slow loris (*Nycticebus bengalensis*) and Pig-tailed macaque (*Macaca leonina*);

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve is rich in avifauna and supports 17 important bird species like great hornbill (*Buceros bicornis*), wreathed hornbill (*Rhyticeros undulates*), malayan night heron (*Gorsachius melanolophus*), scarlet-backed flower pecker (*Dicaeum cruentatum*), grey peacock pheasant (*Polyplectron bicalcaratum*), red-headed trogon (*Harpactes erythrocephalus*), white-rumped shama (*Copsychus malabaricus*), striped tit babbler (*Mixornis gularis*), white-bellied yuhina (*Erpornis zantholeuca*), black-naped monarch (*Hypothymis azurea*), yellow-bellied warbler (*Abroscopus superciliaris*), white-browed piculet (*Sasia ochracea*), pale-headed woodpecker (*Gecinulus grantia*), rufous-fronted babbler (*Stachyridopsis rufifrons*), rufous-capped babbler (*Stachyridopsis ruficeps*), puff-throated babbler (*Pellorneum ruficeps*) and brown-cheeked fulvetta (*Alcippe poioicephala*);

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve supports 8 important species of amphibians and reptiles including trickle frog (*Occidozyga cf. Tenasserimensis*), Asian tree toad (*Pedostibes kempfi*), Khasi Hill rock toad (*Bufoides meghalayanus*), greater green-backed oriental streamfrog (*Odorrana livida*), broad-headed philautus (*Raorchestes parvulus*), keeled box turtle (*Cuora mouhotii*), flat-backed japalura (*Japalura planidorsata*), flying lizard of the draco genus and the blue-throated forest lizard (*Ptyctolaemus gularis*);

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve also conserves, protects and provides shelter to 26 endemic species of flora and fauna including *Michelia champaca*, *Toona ciiata*, *Terminalia myrocarpa*, *Derris robusta*, *Artocarpus* spp., *Bischofia javanica*, *Melocanna baccifera*, *Dendroclamus longispathus*, clouded leopard, common leopard, hoolock gibbon, Sambar, Serow, barking deer, bear, leopard cat, marble cat, civets, langur, *Rhesus macaque*, Horbills, red jungle fowl, wild boar, Burmese phyton, barbets, green pigeon and it is also home for a single and probably an isolated population of tiger in the State;

AND WHEREAS, the Dampa Tiger Reserve is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Dampa Tiger

Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) kilometre to 11.44 kilometres around the boundary of Dampa Tiger Reserve, in Mamit district in the State of Mizoram as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) kilometre to 11.44 kilometres around the boundary of Dampa Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 488.0 square kilometres. (*Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to international boundary with Bangladesh in the western side of the Protected Area*).
- (2) The boundary description of Dampa Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The map of the Dampa Tiger Reserve demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Dampa Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
- (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department;
 - (xii) Highways; and
 - (xiii) Mizoram State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas,

orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
 - (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
 - (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
 - (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
 - (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
 - (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
 - (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
 - (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
 - (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and

Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

- 5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Deputy Commissioner concerned	Chairman, Ex-officio
(ii)	Representative of Land Revenue and Settlement Department	Member;
(iii)	Representative of Rural Development Department	Member;
(iv)	Representative of Agriculture Department	Member;
(v)	Representative of Local Administration Department	Member;
(vi)	Representative of Public Works Department	Member;
(vii)	Representative of Public Health Engineering	Member;
(viii)	Representative of Fishery Department	Member;
(ix)	Representative of Industries Department	Member;
(x)	Representative of Police Department	Member;
(xi)	Representative of Power and Electricity Department	Member;
(xii)	Representative of Animal Husbandry and Veterinary Department	Member;
(xiii)	Representative of Soil and Moisture Conservation Department	Member;
(xiv)	Representative of Minor Irrigation Department	Member;
(xv)	Representative of non-Governmental organization working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xvi)	Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board	Member;
(xvii)	One expert in Ecology from a recognized institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xviii)	One expert in Biodiversity from a recognized institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
(xix)	Concerned Deputy Conservator Forest/Divisional Forest Officer	Member-Secretary.

- 6. Terms of reference. –** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall

be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No.25/21/2017-ESZ]

DR SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I


BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DAMPA TIGER RESERVE IN THE STATE OF MIZORAM

- North:** The Northern Boundary starts from the pint where Belkhailui meets Sazalui. It thence follows Belkhailui up to its source meeting Ramrilui source (92°22'49.829"E, 23°47'9.737"N). It thence follows Ramrilui till it meets Sengmatawklui (92°23'51.055"E, 23°46'38.935 N). It thence follows Sengmatawklui downstream till it meets Teireilui (92°24'36.711"E, 23°47'54.995"N). The boundary thence follows Teireilui up stream till it meets Tuinghalenglui (92°26'15.066"E, 23°44'18.582"N). It thence follows Tuinghalenglui up to its source crossing a saddle till it meets Daplui (92°29'36.577"E, 23°45'54.604"N). It thence follows Daplui downstream till it meets Tut River (92°31'26.563"E, 23°46'25.722"N).
- East:** The Eastern Boundary starts from the point where Daplui meets Tut River. It thence follows Tut River up to its source crossing a saddle till it meets Marlui (92°28'40.057"E, 23°33'23.354"N). It thence follows Marlui downstream till it meets Lunghrelui (92°27'31.36"E, 23°22'2.393"N).
- South:** The Southern boundary starts from the point where Lunghretlui meets Marlui. It thence follows Lunghretlui up stream up to its source crossing W. Phaileng–Marpara BRTF Road meeting Khawchatlui source (92°25'38.631"E, 23°21'50.918"N). It thence follows Khawchatlui downstream till it meets Sazalui/Tuilianpui (92°25'38.631"E, 23°21'50.918"N) which is an International boundary between India and Bangladesh.
- West:** The Western boundary starts from the point where Sailui meets Sazalui (92°17'30.669"E, 23°40'54.308"N). It then follows Sazalui up stream till it meets Belkhailui (92°19'3.566"E, 23°47'20.403"N).

The western boundary of Dampa Tiger Reserve shares international boundary with Bangladesh and hence '0.0' Km of Eco-sensitive Zone is being proposed on the western side. The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 (International Boundary with Bangladesh) to 11.44 Kms.

ANNEXURE-II

MAP OF DAMPA TIGER RESERVE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES



ANNEXURE-III

A. GEO-COORDINATES OF THE PROMINENT POINTS ON PROTECTED AREA BOUNDARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	24°13'37.521"N	92°54'3.074"E
2	East	24°14'45.601"N	92°53'16.322"E
3	South	24°6'26.327"N	92°51'22.265"E

B. GEO-COORDINATES OF THE PROMINENT POINTS ON ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Longitude (E) (DMS Format)	Latitude (N) (DMS Format)
1	North	92°17'33.207"E	23°40'51.915"N
2	North	92°19'3.566"E	23°47'20.403"N
3	North	92°22'49.829"E	23°47'9.737"N
4	North	92°23'51.055"E	23°46'38.935"N
5	North	92°24'36.711"E	23°47'54.995"N
6	North	92°26'15.066"E	23°44'18.582"N
7	North	92°29'36.577"E	23°45'54.604"N
8	North	92°31'26.563"E	23°46'25.722"N
9	East	92°28'40.057"E	23°33'23.354"N
10	South	92°27'31.36"E	23°22'2.393"N
11	South	92°25'38.631"E	23°21'50.918"N
12	South	92°23'39.859"E	23°21'22.526"N

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGES FALLING UNDER THE PROPOSED ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES (COORDINATE OF ONLY NORTH SIDE IS GIVEN FOR EACH VILLAGE)**

S. No.	Village	Longitude (E) (DMS Format)	Latitude (N) (DMS Format)
1	W.Phaileng	92°29'13.321"E	23°42'51.077"N
2	Chhippui	92°28'38.362"E	23°38'33.573"N
3	Lallen	92°27'52.998"E	23°37'34.876"N
4	Saithah	92°26'46.791"E	23°35'6.657"N
5	Phuldungsei	92°25'5.561"E	23°29'49.578"N
6	W. Phulpui	92°25'55.044"E	23°24'47.354"N
7	Silsuri	92°22'0.481"E	23°23'11.602"N
8	Dapchhuah	92°31'12.916"E	23°46'29.844"N
9	Teirei Forest	92°27'9.655"E	23°41'26.058"N
10	Khawhnai	92°26'18.157"E	23°44'12.078"N
11	Damparengpui	92°24'56.776"E	23°43'25.817"N
12	Serhmun	92°21'31.938"E	23°45'37.386"N
13	Tuipuibari	92°19'41.696"E	23°42'52.075"N
14	Rajivnagar-1	92°18'14.881"E	23°43'21.831"N
15	Belkhai:	92°19'17.128"E	23°47'8.620"N
16	Kawnmawi	92°28'43.700"E	23°39'40.170"N

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.